"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 24 अप्रैल 2015—वैशाख 4, शक 1937

विषय—सूची



# भाग १

## राज्य शासन के आदेश

### सामान्य प्रशासन विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक ई-1-03-2015/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा सुश्री जिनेविवा किंडो, भा.प्र.से., उपायुक्त, बिलासपुर संभाग, बिलासपुर को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद के पद पर पदस्थ करता है.



संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक एफ 1-02/2015/1-15.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री बी. विवेकानंद रेड्डी, भा.व.से. (2009), मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, गरियाबंद की सेवायें पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से वापस लेते हुए इनकी सेवायें अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर को सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**विवेक ढाँड,** मुख्य सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 25 फरवरी 2015

क्रमांक एफ 9-5/2013/1-8.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 19 फरवरी, 2015 द्वारा वित्त विभाग में संविदा पर नियुक्त श्री एस. के. चक्रवर्ती (सेवानिवृत्त, राज्य वित्त सेवा) की दिनांक 19-02-2015 को समाप्त हो रही संविदा अवधि में एक वर्ष की वृद्धि की जाकर, उन्हें वित्त विभाग में उप सचिव के पद पर पदस्थ किया गया था.

2. उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा श्री चक्रवर्ती की संविदा अवधि में दिनांक 19-02-2015 से 06 माह की वृद्धि करते हुए, उन्हें वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थ करता है.

3. संविदा नियुक्ति की सेवा शर्तें यथावत रहेंगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**के. आर. मिश्रा,** अपर सचिव.

---

नया रायपुर, दिनांक 3 मार्च 2015

क्रमांक 90/980/अव./2007/1-8/स्था.—श्री डी. के. माथुर, उप सचिव, गृह विभाग को दिनांक 09-03-2015 से 13-03-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 08, 14, 15-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री डी. के. माथुर आगामी आदेश तक उप सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री डी. के. माथुर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. के. माथुर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 10 मार्च 2015

क्रमांक 92/670/अव./2004/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-03-2015 से 27-03-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 21, 22, 28, 29-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकर आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एम. एल. ताम्रकर को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. एल. ताम्रकर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 12 मार्च 2015

क्रमांक 96/2219/अव./2011/1-8/स्था.—श्री विजय कुमार चौधरी, स्टॉफ ऑफिसर, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग को दिनांक 23-03-2015 से 01-04-2015 तक 10 दिवस का (दिनांक 21, 22-03-2015 एवं 02, 03-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री विजय कुमार चौधरी आगामी आदेश तक स्टॉफ ऑफिसर, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, आवास एवं पर्यावरण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री विजय कुमार चौधरी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय कुमार चौधरी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

क्रमांक 100/933/अव./2014/1-8/स्था.—इस विभाग के आदेश क्रमांक 49-50/933/2014/1-8/स्था, दिनांक 31-01-2015 द्वारा श्री एम. आर. ठाकुर, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को पूर्व में दिनांक 23-02-2015 से 28-02-2015 तक 06 दिवस का स्वीकृत किये गये अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 01-03-2015 से 04-03-2015 तक 04 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. उक्त विभागीय आदेश दिनांक 31-01-2015 से पैरा 2, 3 एवं 4 यथावत् लागू होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

क्रमांक एफ 2-6/2014/1-8.—छत्तीसगढ़ मंत्रालय सेवा के श्री एस. के. चौधरी, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, पशुपालन मछली पालन विभाग को तत्काल प्रभाव से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक ग्रामोद्योग विभाग में पदस्थ किया जाता है.

2. उक्त पदस्थापना के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-03/2013/1-8, दिनांक 22-08-2014 द्वारा श्री एस. एल. आदिले, उप सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (कक्ष-14) अतिरिक्त प्रभार ग्रामोद्योग अब ग्रामोद्योग विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

नया रायपुर, दिनांक 17 मार्च 2015

क्रमांक 106/978/अव./2009/1-8/स्था.—श्री पी. डी. पुरबिया, अवर सचिव, गृह विभाग को दिनांक 13-04-2015 से 02-05-2015 तक 20 दिवस का (दिनांक 11, 12-04-2015 एवं 03, 04-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. पुरबिया आगामी आदेश तक अवर सचिव, गृह विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. पुरबिया को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. पुरबिया अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्रमांक 136/224/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पुनीत कुमार जोशी, अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय को दिनांक 23-02-2015 से 16-03-2015 तक 22 दिवस का (दिनांक 21, 22-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पुनीत कुमार जोशी आगामी आदेश तक अवर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पुनीत कुमार जोशी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुनीत कुमार जोशी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2015

क्रमांक 148/372/अव./2012/1-8/स्था.—श्री मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 05-03-2015 से 13-03-2015 तक 09 दिवस का (दिनांक 14, 15-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकुंद गजभिये आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री मुकुंद गजभिये को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकुंद गजभिये अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2015

क्रमांक 150/936/अव./2013/1-8/स्था.—श्री एन. डी. कुंदानी, अवर सचिव, श्रम विभाग को दिनांक 15-04-2015 से 02-05-2015 तक 18 दिवस का (14-04-2015 एवं 03, 04-05-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. डी. कुंदानी आगामी आदेश तक अवर सचिव, श्रम विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एन. डी. कुंदानी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एन. डी. कुंदानी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्रमांक 154/624/अव./2010/1-8/स्था.—श्री एल. डी. चोपड़े, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 23-03-2015 से 27-03-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 21, 22, 28, 29-03-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. डी. चोपड़े आगामी आदेश तक अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री एल. डी. चोपड़े को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एल. डी. चोपड़े अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

नया रायपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2015

क्रमांक 156/452/अव./2010/1-8/स्था.—श्री पी. डी. दोहरे, अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग को दिनांक 13-04-2015 से 17-04-2015 तक 05 दिवस का (दिनांक 11, 12, 18, 19-04-2015 के घोषित शासकीय अवकाश के लाभ सहित) अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री पी. डी. दोहरे आगामी आदेश तक अवर सचिव, समाज कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्री पी. डी. दोहरे को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पी. डी. दोहरे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**तीरथ प्रसाद लड़िया,** अवर सचिव.

---

## श्रम विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

क्रमांक 773/450/2015/16.—छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र क्रमांक एफ-52-59/तीन (एक)-18/पंचा./कार. अव./2015/1533, दिनांक 10-03-2015 में उल्लेखित छ.ग. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ-38-16/तीन (एक)-चार/पंचा/प्रत्या/समय अनुसूची/2015/1204, दिनांक 23-02-2015 के अनुसार नाम निर्देशन अभ्यर्थियों की मतदान पूर्व मृत्यु होने के फलस्वरूप संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा प्रत्यादिष्ट कर दिये जाने से चार पंच पदों के आम निर्वाचन हेतु दिनांक 29-03-2015 को मतदान एवं दिनांक 31-03-2015 को खण्डस्तर पर मतगणना की तिथि नियत की गई है. अतः कारखाना अधिनियम, 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों को मतदान के दिन अर्थात् 29-03-2015 (रविवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित करता है.

2. ऐसे कारखाने जो सप्ताह के सात दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**एन. डी. कुंदानी,** अवर सचिव.

## कृषि विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2015

क्रमांक/10387/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा-69 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा प्रसंस्करण हेतु केन्द्र तथा छत्तीसगढ़ राज्य शासन के उपक्रमों अथवा व्यापारियों द्वारा राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु लाये गये दलहन, तिलहन, गेहूं एवं अन्य कृषि अधिसूचित उपज पर 01-04-2015 से 31-03-2017 (दो वर्षीय छूट) तक की कालावधि के लिए मंडी शुल्क से उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अध्याधीन पूर्णत: छूट प्रदान करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** संयुक्त सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2015

क्रमांक/10387/डी-15/116/पार्ट-3/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10387-88 रायपुर दिनांक 04-03-2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**प्रदीप कुमार दवे,** संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2015

No./10387/D-15/116/Part-III/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, fully exempts market Fees (Under sub-section (1) of section 19 at the said Act) for the period of 2 years i.e. from 01-04-2015 to 31-03-2017 pulses, oilseeds, wheat and other notified agricultural produce brought from outside the state by central-State Semi-Government bodies or businessman for processing.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

---

## महिला एवं बाल विकास विभाग
### मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2015

क्रमांक एफ 4-4/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) नीति की कंडिका क्र. 10.4 में किये गये प्रावधान अनुसार राज्य प्रारंभिक बाल्यावस्था देख-रेख एवं शिक्षा परिषद [State Early Childhood Care and Education (ECCE) ] प्रावधान अनुसार राज्य ईसीसीई परिषद की गठन करता है.

राज्य ईसीसीई परिषद प्रदेश में ईसीसीई के लिए अवधारणा तथा रणनीति तैयार करेगी और व्यापक ईसीसीई तंत्र स्थापित करके राज्य में ईसीसीई की नींव को सुदृढ़ करने में सहयोग प्रदान करेगी. राज्य ईसीसीई परिषद महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत राज्य स्तर की संस्था होगी, जो प्रशिक्षण पाठ्यचर्चा की रूपरेखा, मानकों तथा संबद्ध कार्यकलापों की पद्धतियां उपलब्ध कराएगी तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख तथा शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के उद्देश्य से कार्यात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी.

2. **अवधारणा.—** बाल विकास एक सतत एवं संचयी प्रक्रिया है जो जीवन चक्र को प्रभावित करती है, सर्वांगीण बाल विकास हेतु साक्ष्य आधारित प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संकल्पना और प्रथाओं को दृढ़तापूर्वक स्थापित किया जाना आवश्यक है.

3. **परिषद के उद्देश्य.—** राज्य ईसीसीई परिषद का मुख्य उद्देश्य 0-6 वर्ष की आयु-वर्ग के छोटे बच्चों के सर्वांगीण तथा समेकित विकास के लिए अपेक्षित गुणवत्ता के साथ अवधारणा तथा कार्यपद्धति बनाना है. उद्देश्य का विवरण निम्नानुसार है :—

1. एक व्यापक ईसीसीई प्रणाली की स्थापना करना.

2. ईसीसीई का ऐसा समेकित ढांचा विकसित करना जो बहु-मॉडल तथा बहु-घटक उपायों, दीर्घकालिक डाटा संकलन और नियोजन तथा अधिक प्रभावी अंतर क्षेत्रीय सेवा प्रदायगी की पद्धतियों और प्लेटफार्मों को सुगम बनाते हुए तथा उनकी सहायता करते हुए भारत में ईसीसीई कार्यक्रमों की बुनियाद को सुदृढ़ बनाने में योगदान होगा.

3. ईसीसीई एवं संबंधित नीतियों को बढ़ावा देना.

4. पेशेवर (Professional) एवं देखभालकर्ताओं (Care givers) सहित परिवारों, समुदायों तथा पूरे समाज में साक्ष्य आधारित प्रथाओं को आगे बढ़ाना.

5. विनियामक तंत्र (Regulatory mechanism) का निर्धारण करना तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पद्धति के मानदंडों तथा मानकों और इससे संबंधित मामलों के लिए मानदंडों एवं मानकों के उपयुक्त अनुपालन को सुनिश्चित करना.

4. **लक्ष्य .—**

- उत्तरदायी पणधारियों (Stakeholders) में ईसीसीई के परिणामों के लिए समान जिम्मेदारी को बढ़ावा देना.
- गुणवत्ता को सुनिश्चित करना तथा साक्ष्य आधारित (Evedence based) साधन, संसाधन, प्रक्रियाएं, पद्धतियां तथा जागरूकता सामग्री उपलब्ध कराना.
- ईसीसीई के सभी पहलुओं में सुधार के लिए प्रणालियां एवं नेटवर्क विकसित करना, सहायता देना एवं स्थापित करना.
- सतत् गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता के साथ परिणामों तथा संकेतकों को विनियमित करना, उनका पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना.

5. **परिषद गठन के अपेक्षित परिणाम.—**

- सर्वांगीण, समेकित तथा ईष्टतम बाल विकास को प्राप्त करना और विकास में विलंब पर रोक लगाना.
- गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा सेवाओं की व्यापक तथा स्थाई प्रणालियों की स्थापना.
- ईसीसीई क्षेत्र के संबंध में समुदाय में जागरूकता तथा व्यावसायिक कुशलता (Professionalism) में सुधार.

6. **परिषद के अधिदेश ( Mandate ).—**

- ईसीसीई संबंधी कार्यक्रमों एवं सेवाओं के लिए नीतियां तथा क्रियान्वयन संबंधी दिशानिर्देश तैयार करना.
- ईसीसीई के क्षेत्र में संस्थागत सुधार लाने और उन्हें सुदृढ़ करने हेतु ईसीसीई संबंधी जानकारी का विकास, प्रसार और उपयोग करना.
- नई रणनीतियों तथा विकल्पों की खोज करना तथा ईसीसीई में नवाचारों को व्यापक बनाने और उन्हें निरंतर लागू रखने के तरीकों का पता लगाना.

7. **परिषद के कार्य.—** परिषद का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी कदम उठाए जो उसे ईसीसीई के मानकों के निर्धारण और उन्हें कायम रखने के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा की नीतियों, रूपरेखाओं तथा अन्य प्रावधानों का योजनाबद्ध और समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रतीत हो तथा राष्ट्रीय ईसीसीई नीति के अन्तर्गत अपने कार्यों के निष्पादन के लिए

परिषद निम्नलिखित कार्य कर सकती है :—

(क) नीतियों के कार्यान्वयन में सुधार करने तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा के संबंध में उपयुक्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को तैयार करने के मामलों में सरकार को रणनीति संबंधी अनुशंसाएं तथा परामर्श देना.

(ख) ईसीसीई नीति के लिए समग्र आयोजना (Overall Planning) का नेतृत्व करना.

(ग) ईसीसीई नीति के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी ईसीसीई गतिविधियों का नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व करना तथा सुनिश्चित करना कि वे अच्छी तरह नियोजित, कार्यान्वित एवं मूल्यांकित हों.

(घ) ईसीसीई सेवा प्रदायगी में साम्यपूर्ण एवं तर्कसंगत विधियां लाने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करना.

(ङ) सभी छोटे बच्चों के लिए इष्टतम ईसीसीई सेवाएं सुनिश्चित करना.

(च) प्रदेश में ईसीसीई प्रावधानों तथा उनकी सुलभता और उपलब्धता हेतु समन्वय एवं अनुश्रवण करना.

(छ) परिषद द्वारा निर्धारित मानदंडों (Norms) दिशानिर्देशों (Guideline) एवं मानकों (Standards) के कार्यान्वयन का परीक्षण एवं समीक्षा अवधि के आधार पर करना तथा संस्थाओं को उपयुक्त ढंग से सलाह देना.

(ज) ऐसी प्रणालियों की स्थापना को प्रोत्साहित करना जो ईसीसीई के लिए जोखिम कारकों (Risk factors) को घटाएं तथा ईसीसीई के लिए संरक्षी कारकों/उपायों (Protective factors/measures) को बढ़ावा दें.

(झ) ईसीसीई संस्थाओं द्वारा नए कार्यक्रम आरंभ करने, भौतिक तथा शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए, स्टाफिंग प्रणाली (पैटर्न) तथा स्टाफ की अर्हता संबंधी दिशानिर्देश तैयार करना जिनका अनुपालन ईसीसीई संस्थाओं द्वारा किया जावे.

(ञ) ईसीसीई संस्थाओं पर जवाबदेही लागू करने के लिए उपयुक्त निष्पादन (Appraisal) प्रणाली, मानदंड (Norms) एवं तंत्र (Machanism) विकसित करना.

(ट) विभिन्न स्तरों पर ईसीसीई पेशेवर (Professional) के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम योग्यताओं के संबंध में दिशानिर्देश निर्धारित करना.

(ठ) ईसीसीई कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रयुक्त होने वाले खेल उपकरण (Play equipment) खेल सामग्री (Play material), खेल-स्थान (Play space), फर्नीचर, पुस्तकों तथा बाल साहित्य आदि के लिए मानदंड तथा मानक निर्धारित करना.

(ड) ईसीसीई प्रावधानों के व्यावसायीकरण तथा बच्चों के विकास की दृष्टि के अनुपयुक्त शिक्षा को रोकने के लिए सभी अनिवार्य कदम उठाना.

(ढ) शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षकों तथा अन्य स्टाफ के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा पर प्रशिक्षण कार्यक्रम विकसित करने हेतु सलाह देना.

(ण) प्रारंभिक बाल्यावस्था व्यावसायिकों के लिए कारगर कोचिंग तथा समकक्ष सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रणालियां स्थापित करना.

(त) पूरे प्रदेश में ईसीसीई के लिए जीवंत, गतिशील अनुसंधान नेटवर्क तथा सूचना के आदान-प्रदान के लिए सुलभ ज्ञान प्रबंधन प्लेटफार्म विकसित करना.

(थ) ईसीसीई से संबंधित वृहत्तर क्षेत्र में स्वयं या संबंधित मंत्रालयों और प्राधिकरणों के सहयोग से ऐसे कार्य करना जो उपयुक्त हो या/और सरकार द्वारा या सौंपे गए हों.

8. **परिषद की संरचना.**—इस परिषद में सभी संबद्ध विभागों/मंत्रालयों, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) के प्रतिनिधियों, सिविल सोसायटी संगठनों, व्यावसायिकों, पेशेवरों, शिक्षाविदों, बाल अधिकार कार्यकर्ताओं आदि का व्यापक रूप से प्रतिनिधित्व होगा.

**सामान्य परिषद**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | मंत्री, महिला एवं बाल विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | सदस्य, योजना आयोग | सदस्य |
| 3. | अध्यक्ष, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग | सदस्य |
| 4. | सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग | सदस्य |
| 5. | सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य |
| 6. | सचिव, आदिम जाति कल्याण विभाग | सदस्य |
| 7. | सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग | सदस्य |
| 8. | सचिव, समाज कल्याण विभाग | सदस्य |
| 9. | सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज | सदस्य |
| 10. | सचिव, वित्त विभाग | सदस्य |
| 11. | संचालक, महिला एवं बाल विकास | सदस्य सचिव |
| 12. | प्रत्येक संभाग (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर) से चक्रानुक्रम में एक इस प्रकार कुल पांच (5) जिला कलेक्टर जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे. | सदस्य |
| 13. | विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों के गृह विज्ञान, मानव संसाधन विकास विभागों के पांच (5) संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा में ज्ञात रूचि एवं योगदान वाले ईसीसीई विशेषज्ञ जिन्हें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा. | सदस्य |
| 14. | यूनिसेफ के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 15. | केयर संस्था के प्रतिनिधि | सदस्य |

सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष/(कार्यपालक) उपाध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों आदि को सहयोजित एवं आमंत्रित कर सकते हैं. परिषद के निर्णय के अनुसार और/या समय-समय पर सरकार के निर्देश के अनुसार बैठकें होंगी.

**कार्यकारिणी समिति**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग | अध्यक्ष |
| 2. | सदस्य सचिव, योजना आयोग | सदस्य |
| 3. | मिशन संचालक (आईसीडीएस), महिला एवं बाल विकास विभाग | सदस्य सचिव |
| 4. | विकास आयुक्त | सदस्य |
| 5. | संचालक, सर्वशिक्षा अभियान | सदस्य |
| 6. | संचालक, एससीईआरटी | सदस्य |
| 7. | संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं | सदस्य |
| 8. | संचालक, एसएचआरसी | सदस्य |
| 9. | संचालक, राज्यस्तरीय संसाधन केन्द्र (महिला एवं बाल विकास) | सदस्य |
| 10. | संचालक, समाज कल्याण | सदस्य |
| 11. | प्रत्येक संभाग (रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं बस्तर) से चक्रानुक्रम में एक इस प्रकार कुल पांच (5) जिला कार्यक्रम अधिकारी जो हर दो साल में बारी-बारी से मनोनीत होंगे. | सदस्य |
| 12. | विशेषज्ञों एवं पेशेवर निकायों के छह (6) प्रतिनिधि | सदस्य |

अध्यक्ष की अनुमति से ईसीसीई विशेषज्ञों, विकास साझेदारों (Development Partners) आदि को आमंत्रित कर सकते हैं.

9. **परिषद के मनोनीत सदस्यों के कार्यकाल.**— परिषद के मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष होगा.

आकस्मिक रिक्ति पर मनोनीत व्यक्ति कार्यकाल की ऐसी शेष अवधि के लिए परिषद का सदस्य होगा, जिसके लिए वह सदस्य, जिसके स्थान को वह भरेगा, सदस्य रहता.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा. राज्य ईसीसीई परिषद गठन हेतु वित्त एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति तथा समन्वय में अनुमोदन प्राप्त किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**दिनेश श्रीवास्तव,** सचिव.

# आवास एवं पर्यावरण विभाग
## मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 2 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7-39/2010/32.—राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में यह समीचीन है कि महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाये,

2. अतएव छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 64 की उपधारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा महासमुंद जिले के सिरपुर क्षेत्र को एक विशेष क्षेत्र के रूप में अभिहित करता है जो "सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण," के नाम से जाना जायेगा और उसकी सीमाएं नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की जाती है :—

## अनुसूची

**सिरपुर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की सीमाएं**

**उत्तर में** : ग्राम मुडियाडीह, कुहरी एवं बोरीद की उत्तरी सीमा तक.

**पूर्व में** : ग्राम बोरिद, केडीयाडीह, खिरसाली, बंदोरा, छपोराडीह एवं जलकी की पूर्वी सीमा तक.

**दक्षिण में** : ग्राम जलकी, घांसकुड़ा, बिरबिरा, कसलडीह, गुडरूडीह, पिरदा एवं खैरझिटी की दक्षिणी सीमा तक.

**पश्चिम में** : ग्राम खैरझिटी, तेंदुवाही, नवागांव उर्फ मालीडीह, कुकराडीह, परसाडीह, पीढ़ी, मोहकम, खड़गा, सिरपुर, खमतराई, केडीयाडीह, कर्राडीह, पासोद एवं मुडियाडीह की पश्चिमी सीमा तक.

नया रायपुर, दिनांक 20 मार्च 2015

क्रमांक एफ 7-06/2011/32.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से निम्नलिखित निवेश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 लागू करता है :—

1. **जिला बेमेतरा —**

(1) देवकर निवेश क्षेत्र (2) परपोड़ी निवेश क्षेत्र
(3) नवागढ़ निवेश क्षेत्र (4) बेरला निवेश क्षेत्र
(5) बेमेतरा निवेश क्षेत्र (6) मारो निवेश क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**रेजीना टोप्पो,** संयुक्त सचिव.

## राजस्व विभाग

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2015

क्रमांक/282/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (वर्गमीटर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | नारा | 1664 | 34 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर. | छतौना दरबा कुटेसर बड़गांव गुण्डा नारा लखौली मार्ग चौड़ीकरण हेतु. |
| | | | 1666 | 100 | | |
| | | | 1668 | 150 | | |
| | | | 1669 | 104 | | |
| | | | 1682 | 108 | | |
| | | | 1684 | 368 | | |
| | | | 1683 | 120 | | |
| | | | 1686 | 210 | | |
| | | | 1803 | 42 | | |
| | | | 1804/1 | 120 | | |
| | | | 1804/2 | 100 | | |
| | | | 1804/3 | 100 | | |
| | | | 1805 | 384 | | |
| | | | 1824 | 16 | | |
| | | | 1825 | 16 | | |
| | | | 1826 | 224 | | |
| | | | 1831/1 | 264 | | |
| | | | 1832 | 96 | | |
| | | | 1994 | 160 | | |
| | | | 1995/1 | 184 | | |
| | | | 1970 | 120 | | |
| | | | 1990/2 | 32 | | |
| | | | 1991 | 336 | | |
| | | | 1996 | 352 | | |
| | | | 1998 | 272 | | |
| | | | 1999 | 128 | | |
| | | | 2000/2 | | | |
| | | | 2143/2 | | | |
| | | | 2001 | 160 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2002 | 78 | | |
| | | | 2005 | 90 | | |
| | | | 2006 | 66 | | |
| | | | 2008 | 48 | | |
| | | | 2009 | 36 | | |
| | | | 2010 | 88 | | |
| | | | 2015 | 160 | | |
| | | | 2011 | 160 | | |
| | | | 2016/1 | 240 | | |
| | | | 2017 | 48 | | |
| | | | 2018 | 228 | | |
| | | | 2021 | 344 | | |
| | | | 2022 | 228 | | |
| | | | 2023/1 | 56 | | |
| | | | 2023/2 | 56 | | |
| | | | 2024 | 138 | | |
| | | | 2145 | 440 | | |
| | | | 2147 | 592 | | |
| | | **योग** | **47** | **7396** | | |

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2015

क्रमांक/286/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | समोदा प.ह.नं. 47 | 472 | 0.09 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर. | समोदा बैराज परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु. |
| | | | 473 | 0.08 | | |
| | | | 476 | 0.26 | | |
| | | | 477/2 | 0.06 | | |
| | | | 427/1 | 0.11 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 442 | 0.08 | | |
| | | | 436 | 0.15 | | |
| | | | 571 | 0.09 | | |
| | | | 415 | 0.15 | | |
| | | | 416 | 0.11 | | |
| | | | 431/1 | 0.12 | | |
| | | | 485/1 | 0.02 | | |
| | | | 189 | 0.08 | | |
| | | | 432 | 0.08 | | |
| | | | 506 | 0.07 | | |
| | | | 584 | 0.25 | | |
| | | | 587/1 | 0.22 | | |
| | | | 563/3 | 0.02 | | |
| | | | 1183 | 0.13 | | |
| | | | 426 | 0.04 | | |
| | | | 558 | 0.05 | | |
| | | | 577/2 | 0.05 | | |
| | | | 455 | 0.19 | | |
| | | | 423/1 | 0.02 | | |
| | | | 423/2 | 0.01 | | |
| | | | 422 | 0.27 | | |
| | | | 534 | 0.08 | | |
| | | | 504 | 0.03 | | |
| | | | 474 | 0.30 | | |
| | | | 457 | 0.16 | | |
| | | | 585/1 | 0.05 | | |
| | | | 418 | 0.14 | | |
| | | | 477/1 | 0.06 | | |
| | | | 427/2 | 0.12 | | |
| | | | 585/3 | 0.05 | | |
| | | | 573 | 0.12 | | |
| | | | 497 | 0.22 | | |
| | | | 515/1274 | 0.17 | | |
| | | | 454 | 0.18 | | |
| | | | 561 | 0.08 | | |
| | | | 469 | 0.07 | | |
| | | | 1205 | 0.24 | | |
| | | | 433 | 0.43 | | |
| | | | 488 | 0.26 | | |
| | | | 555 | 0.11 | | |
| | | | 467 | 0.04 | | |
| | | | 587/3 | 0.14 | | |
| | | | 596 | 0.10 | | |
| | | | 471 | 0.16 | | |
| | | | 410 | 0.13 | | |
| | | | 421 | 0.12 | | |
| | | | 482 | 0.03 | | |
| | | | 431/2 | 0.11 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 563/1 | 0.02 | | |
| | | | 595 | 0.11 | | |
| | | | 440/1 | 0.02 | | |
| | | | 440/6 | 0.20 | | |
| | | | 530 | 0.03 | | |
| | | | 563/2 | 0.02 | | |
| | | | 413 | 0.32 | | |
| | | | 449 | 0.24 | | |
| | | | 450 | 0.08 | | |
| | | | 458 | 0.51 | | |
| | | | 1174 | 0.18 | | |
| | | | 438 | 0.16 | | |
| | | | 437 | 0.15 | | |
| | | | 499 | 0.11 | | |
| | | | 572 | 0.08 | | |
| | | | 585/4 | 0.05 | | |
| | | | 485/2 | 0.07 | | |
| | | | 456 | 0.16 | | |
| | | | 495 | 0.04 | | |
| | | | 535 | 0.09 | | |
| | | | 544 | 0.08 | | |
| | | | 546 | 0.19 | | |
| | | | 541 | 0.10 | | |
| | | | 540 | 0.11 | | |
| | | | 559 | 0.10 | | |
| | | | 539/2 | 0.13 | | |
| | | | 545 | 0.27 | | |
| | | | 552/1 | 0.52 | | |
| | | | 560 | 0.15 | | |
| | | | 539/1 | 0.06 | | |
| | | | 542 | 0.04 | | |
| | | | 581 | 0.08 | | |
| | | | 417 | 0.15 | | |
| | | | 563/4 | 0.02 | | |
| | | | 1171 | 0.07 | | |
| | | | 552/2 | 0.48 | | |
| | | | 557 | 0.05 | | |
| | | | 1168/2 | 0.10 | | |
| | | | 551 | 0.07 | | |
| | | | 569 | 0.10 | | |
| | | | 481 | 0.14 | | |
| | | | 503 | 0.04 | | |
| | | | 553 | 0.09 | | |
| | | | 498 | 0.12 | | |
| | | | 419 | 0.21 | | |
| | | | 478 | 0.03 | | |
| | | | 517 | 0.04 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 432/1273 | 0.06 | | |
| | | | 524 | 0.08 | | |
| | | | 556 | 0.05 | | |
| | | | 543 | 0.04 | | |
| | | | 547 | 0.10 | | |
| | | | 451 | 0.08 | | |
| | | | 1179/2 | 0.07 | | |
| | | | 549 | 0.20 | | |
| | | | 425 | 0.03 | | |
| | | | 523/2 | 0.07 | | |
| | | | 466 | 0.07 | | |
| | | | 531 | 0.03 | | |
| | | | 532 | 0.03 | | |
| | | | 475 | 0.28 | | |
| | | | 1168/1 | 0.75 | | |
| | | | 429 | 0.07 | | |
| | | | 501 | 0.02 | | |
| | | | 511 | 0.04 | | |
| | | | 509/1 | 0.02 | | |
| | | | 515 | 0.15 | | |
| | | | 512 | 0.03 | | |
| | | | 509/2 | 0.01 | | |
| | | | 525 | 0.12 | | |
| | | | 434 | 0.09 | | |
| | | | 435 | 0.10 | | |
| | | | 597/2 | 0.15 | | |
| | | | 1180 | 0.08 | | |
| | | | 570 | 0.58 | | |
| | | | 1172 | 0.09 | | |
| | | | 562 | 0.07 | | |
| | | | 430 | 0.07 | | |
| | | | 527 | 0.12 | | |
| | | | 528 | 0.18 | | |
| | | | 516 | 0.04 | | |
| | | | 526 | 0.09 | | |
| | | | 1178 | 0.45 | | |
| | | | 577/1 | 0.10 | | |
| | | | 428 | 0.14 | | |
| | | | 441 | 0.12 | | |
| | | | 461 | 0.17 | | |
| | | | 412 | 0.34 | | |
| | | | 483 | 0.03 | | |
| | | | 453 | 0.19 | | |
| | | | 459 | 0.38 | | |
| | | | 460 | 0.11 | | |
| | | | 462 | 0.14 | | |
| | | | 463 | 0.17 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 464 | 0.19 | | |
| | | | 465 | 0.08 | | |
| | | | 444/1 | 0.06 | | |
| | | | 583 | 0.09 | | |
| | | | 585/2 | 0.05 | | |
| | | | 480 | 0.08 | | |
| | | | 514 | 0.07 | | |
| | | | 443 | 0.12 | | |
| | | | 579 | 0.12 | | |
| | | | 580 | 0.15 | | |
| | | | 574 | 0.08 | | |
| | | | 578 | 0.13 | | |
| | | | 575 | 0.08 | | |
| | | | 582 | 0.16 | | |
| | | | 568 | 0.11 | | |
| | | | 576 | 0.07 | | |
| | | | 554 | 0.14 | | |
| | | | 533 | 0.03 | | |
| | | | 411 | 0.15 | | |
| | | | 420 | 0.08 | | |
| | | | 479 | 0.06 | | |
| | | | 586 | 0.06 | | |
| | | | 587/2 | 0.07 | | |
| | | | 577/3 | 0.04 | | |
| | | | 597/1 | 0.04 | | |
| | | | 440/2 | 0.07 | | |
| | | | 448 | 0.04 | | |
| | | | 470 | 0.06 | | |
| | | | 484/2 | 0.04 | | |
| | | | 486/2 | 0.04 | | |
| | | | 486/1 | 0.13 | | |
| | | | 490/1 | 0.08 | | |
| | | | 490/2 | 0.01 | | |
| | | | 491 | 0.05 | | |
| | | | 494 | 0.02 | | |
| | | | 496 | 0.10 | | |
| | | | 414 | 0.16 | | |
| | | | 510 | 0.04 | | |
| | | | 523/1 | 0.06 | | |
| | | | 598 | 0.14 | | |
| | | | 597/3 | 0.05 | | |
| | | | 1177 | 0.49 | | |
| | | | 468 | 1.83 | | |
| | | | 508 | 0.14 | | |
| | | | 1182 | 0.15 | | |
| | | | 550 | 0.07 | | |
| | | | 529 | 0.03 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 484/1 | 0.10 | | |
| | | | 440/3 | 0.16 | | |
| | | | 424 | 0.03 | | |
| | | **योग** | **197** | **25.48** | | |

रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2015

क्रमांक/287/भू-अर्जन/2015.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | | धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल | | | |
| | | | खसरा नं. | रकबा (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
| रायपुर | आरंग | चपरीद प.ह.नं. 51 | 1300 | 0.18 | अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, आरंग-अभनपुर. | समोदा बैराज परियोजना के डूबान क्षेत्र हेतु. |
| | | | 1429 | 0.06 | | |
| | | | 1460 | 0.02 | | |
| | | | 1303/1 | 0.04 | | |
| | | | 1267/2 | 0.05 | | |
| | | | 1403 | 0.03 | | |
| | | | 1404 | 0.03 | | |
| | | | 1385 | 0.07 | | |
| | | | 1263/1 | 0.03 | | |
| | | | 1297/2 | 0.02 | | |
| | | | 1297/8 | 0.04 | | |
| | | | 1421 | 0.05 | | |
| | | | 1297/4 | 0.03 | | |
| | | | 1297/5 | 0.03 | | |
| | | | 1408 | 0.05 | | |
| | | | 1355 | 0.01 | | |
| | | | 1383 | 0.01 | | |
| | | | 1463 | 0.11 | | |
| | | | 1465 | 0.13 | | |
| | | | 1472 | 0.05 | | |
| | | | 1477 | 0.06 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1478 | 0.25 | | |
| | | | 1486 | 0.12 | | |
| | | | 1316/3 | 0.05 | | |
| | | | 1298 | 0.16 | | |
| | | | 1324 | 0.01 | | |
| | | | 1361 | 0.01 | | |
| | | | 1370 | 0.02 | | |
| | | | 1437 | 0.12 | | |
| | | | 1356/2 | 0.03 | | |
| | | | 1327 | 0.03 | | |
| | | | 1329 | 0.13 | | |
| | | | 1357/2 | 0.01 | | |
| | | | 1307 | 0.15 | | |
| | | | 1308 | 0.08 | | |
| | | | 1306 | 0.79 | | |
| | | | 1380 | 0.06 | | |
| | | | 1273 | 0.02 | | |
| | | | 1274 | 0.03 | | |
| | | | 1275 | 0.03 | | |
| | | | 1193 | 0.09 | | |
| | | | 1345 | 0.03 | | |
| | | | 1271 | 0.17 | | |
| | | | 1487 | 0.04 | | |
| | | | 1422 | 0.08 | | |
| | | | 1430 | 0.09 | | |
| | | | 1493 | 0.11 | | |
| | | | 1303/2 | 0.06 | | |
| | | | 1304/2 | 0.06 | | |
| | | | 1292 | 0.05 | | |
| | | | 1293 | 0.01 | | |
| | | | 1294 | 0.07 | | |
| | | | 1386/2 | 0.05 | | |
| | | | 1458/1 | 0.08 | | |
| | | | 1458/4 | 0.12 | | |
| | | | 1192 | 0.12 | | |
| | | | 1375 | 0.08 | | |
| | | | 1409 | 0.05 | | |
| | | | 1352 | 0.03 | | |
| | | | 1356/1 | 0.03 | | |
| | | | 1502 | 0.18 | | |
| | | | 1316/1 | 0.08 | | |
| | | | 1302/1 | 0.09 | | |
| | | | 1302/2 | 0.05 | | |
| | | | 1420/1 | 0.02 | | |
| | | | 1372 | 0.03 | | |
| | | | 1295 | 0.10 | | |
| | | | 1299 | 0.05 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1407 | 0.10 | | |
| | | | 1431 | 0.10 | | |
| | | | 1347 | 0.03 | | |
| | | | 1335 | 0.02 | | |
| | | | 1336 | 0.06 | | |
| | | | 1392 | 0.02 | | |
| | | | 1366 | 0.03 | | |
| | | | 1272 | 0.10 | | |
| | | | 1332 | 0.14 | | |
| | | | 1365 | 0.01 | | |
| | | | 1259 | 0.03 | | |
| | | | 1263/2 | 0.02 | | |
| | | | 1495/1 | 0.09 | | |
| | | | 1257 | 0.05 | | |
| | | | 1479 | 0.06 | | |
| | | | 1457/1 | 0.07 | | |
| | | | 1321 | 0.18 | | |
| | | | 1457/2 | 0.08 | | |
| | | | 1418 | 0.10 | | |
| | | | 1500 | 0.37 | | |
| | | | 1288/1 | 0.07 | | |
| | | | 1286/2 | 0.03 | | |
| | | | 1426/2 | 0.02 | | |
| | | | 1395 | 0.06 | | |
| | | | 1328 | 0.05 | | |
| | | | 1337 | 0.09 | | |
| | | | 1425 | 0.07 | | |
| | | | 1349 | 0.04 | | |
| | | | 1406 | 0.08 | | |
| | | | 1360 | 0.07 | | |
| | | | 1405 | 0.17 | | |
| | | | 1413 | 0.07 | | |
| | | | 1316/2 | 0.08 | | |
| | | | 1443 | 0.07 | | |
| | | | 1461 | 0.02 | | |
| | | | 1330 | 0.05 | | |
| | | | 1325 | 0.05 | | |
| | | | 1417 | 0.21 | | |
| | | | 1433 | 0.47 | | |
| | | | 1464 | 0.27 | | |
| | | | 1481 | 0.05 | | |
| | | | 1449 | 0.13 | | |
| | | | 1450 | 0.18 | | |
| | | | 1451/1 | 0.10 | | |
| | | | 1451/2 | 0.05 | | |
| | | | 1452 | 0.02 | | |
| | | | 1453 | 0.08 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1454 | 0.09 | | |
| | | | 1455 | 0.04 | | |
| | | | 1458/2 | 0.10 | | |
| | | | 1346 | 0.03 | | |
| | | | 1469/2 | 0.39 | | |
| | | | 1496/1 | 0.10 | | |
| | | | 1412 | 0.10 | | |
| | | | 1390 | 0.06 | | |
| | | | 1382 | 0.02 | | |
| | | | 1379 | 0.08 | | |
| | | | 1331 | 0.06 | | |
| | | | 1501/2 | 0.06 | | |
| | | | 1376 | 0.04 | | |
| | | | 1388 | 0.03 | | |
| | | | 1314 | 0.12 | | |
| | | | 1456 | 0.27 | | |
| | | | 1181/1 | 0.08 | | |
| | | | 1468/1 | 0.08 | | |
| | | | 1179 | 0.12 | | |
| | | | 1416 | 0.04 | | |
| | | | 1471 | 0.08 | | |
| | | | 1286/2 | 0.02 | | |
| | | | 1288/2 | 0.06 | | |
| | | | 1426/3 | 0.02 | | |
| | | | 1374 | 0.04 | | |
| | | | 1378 | 0.04 | | |
| | | | 1301 | 0.16 | | |
| | | | 1458/3 | 0.21 | | |
| | | | 1492 | 0.03 | | |
| | | | 1281 | 0.14 | | |
| | | | 1358 | 0.08 | | |
| | | | 1411 | 0.05 | | |
| | | | 1488 | 0.02 | | |
| | | | 1494 | 0.33 | | |
| | | | 1270 | 0.10 | | |
| | | | 1415 | 0.10 | | |
| | | | 1312/2 | 0.12 | | |
| | | | 1194 | 0.03 | | |
| | | | 1398 | 0.02 | | |
| | | | 1399/2 | 0.02 | | |
| | | | 1400 | 0.02 | | |
| | | | 1490 | 0.05 | | |
| | | | 1491 | 0.04 | | |
| | | | 1176 | 0.04 | | |
| | | | 1180 | 0.21 | | |
| | | | 1182 | 0.06 | | |
| | | | 1468/2 | 0.16 | | |
| | | | 1181/2 | 0.15 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1183/3 | 0.12 | | |
| | | | 1267/1 | 0.06 | | |
| | | | 1368 | 0.03 | | |
| | | | 1466 | 0.41 | | |
| | | | 1436 | 0.06 | | |
| | | | 1175 | 0.14 | | |
| | | | 1265 | 0.06 | | |
| | | | 1297/1 | 0.02 | | |
| | | | 1297/6 | 0.05 | | |
| | | | 1459 | 0.26 | | |
| | | | 1280 | 0.56 | | |
| | | | 1489 | 0.04 | | |
| | | | 1391 | 0.06 | | |
| | | | 1340 | 0.01 | | |
| | | | 1448 | 0.09 | | |
| | | | 1462 | 0.05 | | |
| | | | 1480 | 0.04 | | |
| | | | 1304/1 | 0.07 | | |
| | | | 1470 | 0.17 | | |
| | | | 1414/2 | 0.03 | | |
| | | | 1311 | 0.09 | | |
| | | | 1296 | 0.06 | | |
| | | | 1353 | 0.02 | | |
| | | | 1190 | 0.19 | | |
| | | | 1313 | 0.13 | | |
| | | | 1401 | 0.04 | | |
| | | | 1503/1 | 0.10 | | |
| | | | 1269 | 0.09 | | |
| | | | 1260 | 0.04 | | |
| | | | 1384 | 0.04 | | |
| | | | 1410 | 0.03 | | |
| | | | 1386/1 | 0.04 | | |
| | | | 1170 | 0.62 | | |
| | | | 1323 | 0.01 | | |
| | | | 1362 | 0.02 | | |
| | | | 1435 | 0.03 | | |
| | | | 1434 | 0.04 | | |
| | | | 1396 | 0.02 | | |
| | | | 1397 | 0.02 | | |
| | | | 1399/3 | 0.02 | | |
| | | | 1268 | 1.36 | | |
| | | | 1283 | 1.33 | | |
| | | | 1285 | 0.73 | | |
| | | | 1399/4 | 0.05 | | |
| | | | 1432 | 0.15 | | |
| | | | 1364 | 0.01 | | |
| | | | 1189 | 0.16 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1322 | 0.01 | | |
| | | | 1367 | 0.03 | | |
| | | | 1256/2 | 0.07 | | |
| | | | 1414/1 | 0.04 | | |
| | | | 1499/1 | 0.35 | | |
| | | | 1499/2 | 0.05 | | |
| | | | 1499/3 | 0.05 | | |
| | | | 1499/4 | 0.05 | | |
| | | | 1499/5 | 0.05 | | |
| | | | 1287 | 0.11 | | |
| | | | 1289 | 0.14 | | |
| | | | 1291 | 0.15 | | |
| | | | 1427 | 0.11 | | |
| | | | 1389 | 0.04 | | |
| | | | 1373 | 0.03 | | |
| | | | 1402 | 0.03 | | |
| | | | 1282 | 0.48 | | |
| | | | 1284 | 0.54 | | |
| | | | 1399/1 | 0.06 | | |
| | | | 1266 | 0.07 | | |
| | | | 1297/3 | 0.03 | | |
| | | | 1297/7 | 0.04 | | |
| | | | 1363 | 0.01 | | |
| | | | 1333 | 0.10 | | |
| | | | 1312/1 | 0.02 | | |
| | | | 1187 | 0.24 | | |
| | | | 1191 | 0.09 | | |
| | | | 1264 | 0.05 | | |
| | | | 1369 | 0.07 | | |
| | | | 1377 | 0.04 | | |
| | | | 1309 | 0.11 | | |
| | | | 1319 | 0.15 | | |
| | | | 1354 | 0.02 | | |
| | | | 1394/2 | 0.03 | | |
| | | | 1371 | 0.04 | | |
| | | | 1501/1 | 0.07 | | |
| | | | 1394/1 | 0.02 | | |
| | | | 1320 | 0.70 | | |
| | | | 1357/1 | 0.02 | | |
| | | | 1495/2 | 0.10 | | |
| | | | 1424 | 0.14 | | |
| | | | 1316/4 | 0.04 | | |
| | | | 1467/2 | 0.20 | | |
| | | | 1183/2 | 0.12 | | |
| | | | 1188/2 | 0.05 | | |
| | | | 1341 | 0.04 | | |
| | | | 1348 | 0.07 | | |

| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1359 | 0.12 | | |
| | | | 1387 | 0.18 | | |
| | | | 1428 | 0.16 | | |
| | | | 1334 | 0.02 | | |
| | | | 1503/2 | 0.10 | | |
| | | | 1482 | 0.04 | | |
| | | | 1393 | 0.03 | | |
| | | | 1339 | 0.06 | | |
| | | | 1342 | 0.01 | | |
| | | | 1343 | 0.01 | | |
| | | | 1344 | 0.02 | | |
| | | | 1302/3 | 0.12 | | |
| | | | 1305 | 0.06 | | |
| | | | 1326 | 0.06 | | |
| | | | 1310 | 0.08 | | |
| | | | 1338 | 0.15 | | |
| | | | 1183/1 | 0.12 | | |
| | | | 1188/1 | 0.04 | | |
| | | | 1350 | 0.02 | | |
| | | | 1351 | 0.02 | | |
| | | | 1165/1 | 0.40 | | |
| | | | 1184 | 0.11 | | |
| | | | 1186 | 0.20 | | |
| | | | 1318 | 0.55 | | |
| | | | 1438 | 0.02 | | |
| | | | 1439 | 0.02 | | |
| | | | 1440 | 0.09 | | |
| | | | 1441 | 0.03 | | |
| | | | 1442 | 0.03 | | |
| | | | 1469/1 | 0.40 | | |
| | | | 1315 | 0.13 | | |
| | | | 1496/4 | 0.07 | | |
| | | | 1496/3 | 0.07 | | |
| | | | 1496/2 | 0.05 | | |
| | | | 648 | 3.59 | | |
| | | | 1286/1 | 0.03 | | |
| | | | 1290 | 0.15 | | |
| | | | 1426/1 | 0.03 | | |
| | | | 1185 | 0.14 | | |
| | | | 1467/1 | 0.10 | | |
| | | **योग** | **297** | **34.31** | | |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**राम सिंह,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सूरजपुर, दिनांक 27 फरवरी 2015

रा.प्र.क्र. 2/अ-82/14-15.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सूरजपुर | प्रेमनगर | बलदेवनगर | 1.20 | कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध, संभाग क्र. 3, माचाडोली, जिला-कोरबा (छ.ग.) | बांगो बांध हेतु प्रस्तावित |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सूरजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**जी. आर. चुरेन्द्र,** कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./01/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | बतौली | लैगू | 6.668 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | लैगू व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | बतौली | बटईकेला | 2.353 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | माण्ड व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./02/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सीतापुर | धरमपुर | 0.569 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | बेलजोरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2011-12.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | पैगा | 1.739 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | पैगा व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./03/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी | सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सीतापुर | बेलजोरा | 0.245 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | बेलजोरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./04/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सीतापुर | बेलजोरा | 32.382 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | बेलजोरा जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./05/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | हर्रामार | 3.801 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | कोटछाल जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./06/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | महारानीपुर | 4.114 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | महारानीपुर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./07/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | कोट | 7.655 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | कोट व्यपवर्तन योजना के डुबान एवं मुख्य नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./08/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | चिड़ापारा | 2.209 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | महारानीपुर जलाशय योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./09/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सीतापुर | रजपुरी | 2.147 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | रजपुरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./10/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | सीतापुर | रजपुरी | 2.353 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | रजपुरी व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर एवं उप नहर हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./11/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | जामढोढ़ी | 25.664 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | कोटछाल जलाशय योजना के डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./12/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | कमलेश्वरपुर | 1.558 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | रोपाखार जलाशय योजना के मुख्य नहर डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./13/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | रोपाखार | 0.546 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | रोपाखार जलाशय योजना के मुख्य नहर डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

अंबिकापुर, दिनांक 31 मार्च 2015

रा.प्र.क्र./14/अ-82/2012-13.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अन्तर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन | | | | धारा 12 द्वारा | सार्वजनिक प्रयोजन |
|---|---|---|---|---|---|
| जिला | तहसील | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) | प्राधिकृत अधिकारी | का वर्णन |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| सरगुजा | मैनपाट | रोपाखार | 0.105 | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, क्रमांक-1, अंबिकापुर. | रोपाखार जलाशय योजना के मुख्य नहर डूब क्षेत्र हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ऋतु सैन,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

---

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्रमांक/1419/भू-अर्जन/2015.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-मोतीपुर (राजनांदगांव), प.ह.नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-89.06 वर्ग मीटर (मकान)

| | खसरा नम्बर | रकबा (वर्गमीटर में) |
|---|---|---|
| | (1) | (2) |
| | 11-सी/78 | 46.36 |
| | 11-सी/78 | 42.70 |
| योग | 2 | 89.06 |

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोतीपुर लेवल क्रासिंग क्र.-461 में रेल्वे अंडरब्रिज का निर्माण. (मोतीपुर की ओर)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**मुकेश बंसल,** कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी)बोर्ड
बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अप्रैल 2015

क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/41.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2013-14/3970-71 रायपुर, दिनांक 10-09-2013 द्वारा श्री नीलकंठ टेकाम अपर कलेक्टर, बिलासपुर को कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया है.

कलेक्टर जिला बिलासपुर का पत्र क्रमांक/1064/जि.का/मंडी/2015 बिलासपुर, दिनांक 10-03-2015 द्वारा श्री टेकाम वर्तमान भारसाधक अधिकारी कृषि उपज मंडी समिति बिलासपुर, दिनांक 18-02-2015 से लम्बे समय तक अवकाश पर होने के कारण मंडी समिति के कार्यों को सुचारू संचालन हेतु श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर बिलासपुर को भारसाधक अधिकारी नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री नीलकंठ टेकाम, अपर कलेक्टर बिलासपुर के स्थान पर श्री निर्मल तिग्गा, अपर कलेक्टर बिलासपुर को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति बिलासपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

**सी. आर. प्रसन्ना,**
प्रबंध संचालक.

---

## कार्यालय सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमा रायपुर (छ.ग.)

रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2015

क्रमांक/376/रीडर/न.भू.सी./2013.—सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक F-6-62/2008 सात-3 रायपुर दिनांक 03-09-2009 में दिये गये निर्देशानुसार नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) निरसन अधिनियम 1999 की धारा 3 एवं 4 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कर्तव्यों के निर्वहन के लिये श्री अवनीश कुमार शरण (भा.प्र.से.) अपर कलेक्टर रायपुर को अधिकृत किया जाता है.

**रामसिंह,**
कलेक्टर.

---

# उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

## उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 26 फरवरी, 2015

क्रमांक 1758/तीन-6-1/2000.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक 02), की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस संबंध में जारी की गई पूर्व की अधिसूचना क्रमांक-2731/तीन-6-1/2000 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 को अतिष्ठित करते हुए, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ एतद्द्वारा निम्न सारणी के स्तंभ (2) में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को रेल संपत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966 (सन् 1966 का 29) एवं रेल्वे एक्ट 1989 (सन् 1989 का 24) के अंतर्गत दण्डनीय और रेल भूमि के उस

भाग जो छत्तीसगढ़ के उक्त सारणी के स्तंभ (4) में दर्शित सिविल जिलों की सीमाओं के अंतर्गत स्थित है, में होने वाले अपराधों की जांच एवं विचारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2117/21-ब (छ.ग.)/2001 दिनांक 16 मई, 2001 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (सन् 1974 का 2) की धारा 11 (1) के अधीन निर्मित विशेष न्यायालय का, उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है :—

सारणी

| अनु. क्र. (1) | न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी का नाम (2) | मुख्यालय (3) | स्थानीय क्षेत्र (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री विक्रम प्रताप चन्द्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बिलासपुर | बिलासपुर | बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा, रायगढ़, जशपुर, सरगुजा स्थान अम्बिकापुर, कोरिया (बैकुण्ठपुर), सूरजपुर, रायपुर, बलौदाबाजार. |

No. 1758/III-6-I/2000.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its previous Notification No. 2731/III-06-1/2000, dated 23-04-2012, the High Court of Chhattisgarh, hereby, appoints the Judicial Magistrate First Class shown in column No. (2) of the table below to be the presiding officer of the Court of Special Magistrate established by the Govt. of Chhattisgarh under section 11 (1) of the Code of Criminal Procedure, 1973 vide Law and Legislative Affairs Department Notification No. 2117/21-B (C.G.)/2001, dated 16th May, 2001 for enquiry and trial of offences under the Railway Property (Unlawful Possession) Act, 1966 (No. 29 of 1966) and under the Railway Act, 1989 (Act No. 24 of 1989) arising out of the Railway Lands running through territories of Civil District shown in column No. (4) of the said table with effect from the date of his assuming charge of his office.

TABLE

| Sl. No. (1) | Name of the Judicial Magistrate First Class (2) | Head Quarter (3) | Local Area (4) |
|---|---|---|---|
| 1. | Shri Vikram, Pratap Chandra, Judicial Magistrate First Class, Bilaspur. | Bilaspur | Bilaspur, Janjgir-Champa, Korba, Raigarh, Jashpur, Surguja at Ambikapur, Surajpur, Koriya (Baikunthpur), Raipur, Balodabazar. |

Bilaspur, the 4th March 2015

No. 209/Confdl./2015/II-3-14/2000.—On the application of Ku. Anita Pradhan, Member of Lower Judicial Service and presently, posted as II Civil Judge Class-II, Balod, she is hereby, permitted to change her name as “Smt. Anita Dhruw” in place of “Ku. Anita Pradhan” and to incorporate the name of her husband Shri Narendra Kumar Dhruw in her service records. It is directed that necessary changes be affected in all her records.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

क्रमांक 43/दो-2-7/2002.—श्री तारेन्द्र कुमार झा, न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जगदलपुर दिनांक 28-02-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 16 मार्च 2015

क्रमांक 44/दो-2-4/2003.—श्री दिनेश कुमार तिवारी, विधिक सलाहकार, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर दिनांक 28-02-2015 की अपरान्ह में सेवानिवृत्ति होने के फलस्वरूप उनके अवकाश लेखा में सेवानिवृत्ति तिथि को शेष अर्जित अवकाश में से 240 (दो सौ चालीस) दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति, छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006, पत्र क्रमांक 4590/डी-331/21-ब/छ.ग./09 दिनांक 08-07-2009 सहपठित पत्र क्रमांक 4082/21-ब/छ.ग./2010 दिनांक 01-05-2010 में दिये गये स्पष्टीकरण (clarification) के आलोक में, प्रदान की जाती है.

Bilaspur, the 23rd March 2015

No. 237/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following member of Lower Judicial Service, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

| S. No. (1) | Name & presently posted as (2) | From (3) | To (4) | Revenue District (5) | Posted as (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Ashok Kumar Lal, II Civil Judge Class-I. | Jashpur | Sarangarh | Raigarh | Civil Judge Class-I |

Bilaspur, the 23rd March 2015

No. 239/Confdl./2015/II-3-1/2015.—The following Civil Judge Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below, is hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

| S. No. (1) | Name & presently posted as (2) | From (3) | To (4) | Revenue District (5) | Posted as (6) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shri Sumit Kumar Harsyana, II Civil Judge Class-II | Dantewara | Dharamjaigarh | Raigarh | Civil Judge Class-II |

Bilaspur, the 24th March 2015

No. 243/Confdl./2015/II-3-1/2015 .—Shri Siddharth Aggarwal, Member of Lower Judicial Service, who is in the category of Senior Civil Judge and who has been posted on deputation as Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, New Delhi, is hereby appointed to the category of Civil Judge Class-I-cum-Additional Chief Judicial Magistrate on proforma basis, from the date he assumes charge of his post.

**Note :—** The above officer shall not be entitled to the pay-scale mentioned in Rule 3 (2) (b) of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006 unless he completes five years of continuous service as Civil Judge Class-I/Senior Civil Judge.

Bilaspur, the 24th March 2015

No. 2501/III-6-1/2007 (Pt. I) .—In exercise of the powers Conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh here-by confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon :—

1. Shri Satish Kumar Khakha, Judicial Magistrate Second Class, Mahasamund.

2. Shri Jeetendra Pradhan, Judicial Magistrate Second Class, Jashpur.

3. Smt. Anita Dhruw, Judicial Magistrate Second Class, Balod.

By order of the Hon,ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

---

Bilaspur, the 28th February 2015

No. 156/Confdl./2015/II-2-1/2015/II-3-1/20015.—It is hereby directed that the following Judicial Officers who have been transferred vide Registry order Nos. 139/Confdl./2015/II-2-1/2015 and 132/Confdl./2015/II-3-1/2015 dated 20-02-2015 shall join their new palce of posting after 14-03-2015 and on or before 20-03-2015 :—

(1) Ku. Sunita Sahu, Secretary, District Legal Services Authority, Rajnandgaon.

(2) Shri Shrikant Shrivas, Secretary, District Legal Services Authority, Korba.

(3) Shri Vivek Kumar Verma, Secretary, District Legal Services Authority, Baikunthpur.

By order of the Hon,ble the Acting Chief Justice,
ARVIND SINGH CHANDEL, Registrar (Vigilance and I. & E.).